

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन संख्या-फा०-02/2024

### प्रेस विज्ञापित

राजकीय फार्मसी सस्थान, अगमकुआँ, पटना-7 मे सहायक प्राध्यापक के सृजित पदों के विरुद्ध मानदेय प्रति कक्षा (class) के आधार पर अतिथि फार्मसी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन राजकीय फार्मसी सस्थान, अगमकुआँ, पटना-7 में दिनांक-30 12 2024 से 08.01 2025 तक 10 00 बजे पूर्वाह्न से 05 00 बजे अपराह्न तक Form जमा करने की तिथि निर्धारित की जाती है।

कोटिवार रिक्तियों की विवरणी विभागवार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विषय / विभाग का नाम	रिक्ति की विवरणी							
		अनु० जाति	अनु० जन जाति	अ० पि० वर्ग	पि० वर्ग	पि० वर्ग की महिला	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
1	फार्मास्यूटिक्स	01 (बैकलॉग)	0	01 (बैकलॉग)	0	0	01	0	03
2	फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री (फार्मास्यूटिकल एनालाइसिस सहित)	01	0	01	01	0	03 (01 महिला)	01	07
3	फार्माकाग्नोसी	0	0	01	0	0	01	0	02
4	फार्माकोलॉजी	0	0	01	0	0	0	0	01

2 अतिथि फार्मसी शिक्षकों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

3 अतिथि फार्मसी शिक्षकों के लिये वांछित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता :-

i. अभ्यर्थी के पास प्रथम श्रेणी में बी० फार्म उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की सगत शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० फार्म) (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए) होना आवश्यक है।

ii. अभ्यर्थी राज्य भेषजी परिषद् के भेषज पजीकरण रजिस्टर में पजीकृत होना चाहिए।

iii. अभ्यर्थी को पी० सी० आई०, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सस्थानों से दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है।

4 उम्र सीमा- दिनांक-01 08 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एव अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में बिहार सरकार के स्थापित प्रावधानों के अनुरूप छूट प्राप्त होगी।

5 आरक्षण :- बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही देय होगा।

6 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है:-

(i) सभी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति। पिछडा वर्ग एव अ०पि० वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये I:WS प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।


(iii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

- (iv) पी०सी०आई० से मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राप्त किये गये शैक्षणिक अनुभव (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत) की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।
- (v) CGPA Conversion Certificate की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।
- (vi) पासपोर्ट साइज का चार फोटोग्राफ।
- (vii) इस आशय का शपथ-पत्र की सभी प्रमाण-पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

नोट :-आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर अभ्यर्थियों के दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन FORM पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 7 अतिथि फार्मसी शिक्षक के रूप में चयन अधिकतम एक वर्ष या उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकता की स्थिति में कार्य सतोषजनक पाए जाने पर अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी। अतिथि फार्मसी शिक्षक उक्त पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगे।
- 8 अतिथि फार्मसी शिक्षक का कार्य सतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में उनसे भविष्य में कार्य नहीं लिया जायेगा।
- 9 आवेदन-पत्र का प्रपत्र एवं चयन की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट <https://statebihar.gov.in/health> पर डाउनलोड किया जा सकता है।
- 10 अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल मेधा क्रम विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी, इसके लिए अलग से पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 11 प्रकाशित विज्ञापन में किसी प्रकार का सशोधन/रद्द करने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को होगा।

1159/171  
23-12-24

  
(रेणु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

## चयन की प्रक्रिया

चयन की प्रक्रिया एवं मेधा निर्धारित करने हेतु अंको का निर्धारण अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के अवधारणार्थ अंको का निम्नरूपेण मूल्यांकन किया जायेगा :-

1. B.Pharm. पाठ्यक्रम में प्राप्तांक हेतु — 50 अंक
2. M.Pharm. पाठ्यक्रम में प्राप्तांक हेतु — 40 अंक
- 3 साक्षात्कार/अभ्यर्थियों की शैक्षणिक डेमोन्स्ट्रेशन — 10 अंक

### **Teaching Skills**

#### **Depth of Subject knowledge-**

टिप्पणी -

- 1 B.Pharm.में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का निर्धारण उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा-यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे  $60 \times 0.5 = 30$  अंक दिये जायेंगे।
- 2 M.Pharm. पाठ्यक्रम के प्रासंगिक शाखा/विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत को 0.4 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे  $60 \times 0.4 = 24$  अंक दिये जायेंगे।
3. यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है तो योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है एवं CGPA Conversion Certificate विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया गया है तो प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए CGPA को 9.5 से गुणा किया जायेगा।

**Marks in Percentage = CGPA x 9.5**

- 4 न्यूनतम अर्हतांक (क्वालीफाइंग मार्क्स) 50 होगा।

1159/171  
23-12-24

*Sanjiv Kumar*  
23/12/24

(रंजु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
Ka

## आवेदन – पत्र का प्रपत्र

विज्ञापन सख्या-फा0-02/2024 के आलोक में अतिथि फार्मसी शिक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन .-

- 1 आवेदक का नाम –
- 2 आवेदक के पिता/पति का नाम –
- 3 विषय का नाम –
- 4 आवेदक का स्थायी पता –
- 5 आवेदक का पत्राचार का पता –
- 6 आवेदक की जन्म तिथि –
- 7 आयु (01 08 2024 तक) –
- 8 शैक्षणिक योग्यता –

स्व अभिप्रमाणित फोटो

SI. NO	Name of Exam	Subject/ Specialization	Name of Board/ University	Passing Year	Full Marks	Marks Obtained	Percentage /CGPA
1	Matric						
2	I.Sc.						
3	B. Pharm						
4	M. Pharm						

### 8. कार्य अनुभव –

SI. NO	Name of Organisation	Name of Post	PCI Approval of College/Institute Yes/No	Period		Total experience in Year
				From	To	

- 9 राज्य भेषजी परिषद से नवीकृत पजीकरण सख्या –
- 10 आवेदक का आधार सख्या –
- 11 आवेदक का पैन नम्बर –
- 12 आवेदक का मोबाइल नम्बर –
- 13 ई०-मेल आई० डी० –
- 14 वैवाहिक स्थिति –
- 15 कोटि- UR  BC  EBC  SC  ST  EWS

- 16 आवेदन के साथ सभी प्रासंगिक प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
17. आवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र की अतिथि फार्मैसी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए किसी भी अन्य फार्मैसी संस्थान से आवेदक का नाम न जुडा हो।
- 18 प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना सही एव सत्य है तथा कोई सूचना गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है तथा आवेदन पत्र किसी पूर्व सूचना के अस्वीकृत किया जा सकता है।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि